सिविल जज (सी0डी0)/त्वरित न्यायालय गाजियाबाद

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय त्वरित न्यायालय, सीनियर डिवीजन, गाजियाबाद।

मूल वाद संख्या 131/2018

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ हापुड रोड गाजियाबाद द्वारा श्री दीनानाथ, अनुसचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद।

.....वादी

बनाम

1. श्रीमति हरप्रिया पन्त पत्नि श्री के0 पन्त, निवासी ए –27, सैक्टर–23, एच0आई0जी डुप्लैक्स, संजय नगर, गाजियाबाद।
2. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी 4950, अनाज मण्डी, राम द्वारा रोड, पहाड़गंज, नई देहली।
3. प्रवीन कुमार पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी 4950, अनाज मण्डी, राम द्वारा रोड, पहाड़गंज, नई देहली।

.....प्रतिवादीगण

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बावत दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 19 माह 08 सन् 2019 बवक्त 10:00 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकई वाफिक किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका मुकदमा का जबाब दे सकें या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात दे सकें, हाजिर हो और जनबा देही दावा की करें और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें, जिन पर आप बताईद आनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हों।

अपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 03 माह 08 सन् 19 ई0 जारी किया गया।

इत्तिला

1. अगर आपको यह अन्देश हो कि आपके गवाह मर्जी से हाजिर न होंगे, तो वह अदालत हाजा से सम्मन बई मुराद जारी करा सकते है कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराया जायें और जिस दस्तावेज को किसी गवाह हाजिर से पेश कराने का आप इत्तेहफाक रखते है, वह उसे पेश कराई जायें, बशर्ते कि आप खर्चा जरूरी अदालत में दाखिल करके, इस उम्र की दरखवास्त गुजरायें।
2. अगर आज मुतालबा मुद्दई को तसलीम करते है, तो रूपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करें, ताकि कार्यवाही इजराय डिग्री की जो आपकी जान या माल दोनों पर हो, करना न पडें।

आज्ञा से मुन्सरिम्,

गाजियाबाद।

सिविल जज (सी0डी0) त्वरित न्यायालय गाजियाबाद